various temples in South India—can be prohibited? For thirty long years we have allowed this country to be smuggled out of its ancient things. I would like to know from the hon. Minister categorically whether he has got any proposal to bring immediately a Bill by which smuggling of these things outside our country can be prohibited. Jammu & Kashmir has a special status. I do not know whether it is possible for him to bring a Bill which will cover the whole country.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: There is already the Antiquities and Art Treasures Act, 1972. We are going through the provisions of this Act and if it is found that the provisions are not sufficient to protect our antiquities, then the question that the hon. Member has raised will be considered.

SHRI BIJOY SINGH NAHAR: I would like to know from the hon. Minister whether the Government has notified that all the manuscripts should be registered or only the manuscripts with paintings and illustrations are going to be registered. If the manuscripts without paintings and illustrations are not to be registered, will he consider that now?

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER: I have already stated in reply to the substantive question that the manuscripts as contain illustrations and paintings would be registered and protected, not beyond that. Already, there are 20,000 such manuscripts. We have to see whether they are all included or not.

मध्य प्रदेश के बेतूल में फारेस्ट रेंजर्स प्रशिक्षण कालेज

*470. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बेतूल जिले में एक फारेस्ट रेंजर्स प्रशिक्षण कालेज खोलने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस कालेज के कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) A proposal to open a Forest Rangers Training College at Betul was received in 1975.

(b) The proposal was not accepted.

श्री सुभाष आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश केवल वनों के लिये ही प्रसिद्ध नहीं है वरन् वहां वनों के विकास के लिये भी अनेकों योजनायें चल रही हैं जिन में लाखों कर्मचारी और और सैकड़ों बड़े अधिकारी कार्य कर रहे हैं । उन के प्रशिक्षण के लिये आवश्यक है कि वहां फारेस्ट रेंजर्स ट्रेनिंग कालिज की स्थापना की जाये । इस के लिये मंत्री महोदय ने बतलाया कि 1975 में बेतूल में ऐसे कालिज की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ था । किस कारण से उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था मुझे मालूम नहीं है ।

क्या मंत्री महोदय दोबारा उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे और बेतूल में फारेस्ट रेंजर्स ट्रेनिंग कालिज खोलने के उस प्रस्ताव को पारित करायेंगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : 1975 के बाद ऐसा महसूस किया गया कि एक और फारेस्ट रेंजर्स ट्रेनिंग कालिज होना चाहिये । इस के लिये अलग-अलग प्रान्तों से बात की गई तो मध्य प्रदेश ने बालाघाट में ऐसा कालिज खोले जाने की सिफारिश की । बालाघाट के केस पर फेवरेब्ली विचार किया जा रहा है उम्मीद है शायद बालाघाट में ऐसा कालिज बन जाये ।

श्री सुभाष आहूजा : अध्यक्ष महोदय, जब बेतूल में पहले ही फारस्ट गार्डस ट्रेनिंग सेन्टर है और वहां उन को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा दूसरे प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षार्थियों को वहां से देहरादून जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में दूसरे प्रशिक्षण लिये वहां पर ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बेतूल का केस 1975 में पिछली गवर्नमेन्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उस के बाद जब मध्य प्रदेश से पूछा गया तो उन्होंने बालाघाट का केस भेजा जिस को कन्सीडर किया जा रहा है और जैसा मैंने बताया है उस को फेवरेबली कंसीडर किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : अभी आप ने बतलाया कि अब यह कालिज बालाघाट में खोला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस वक्त यह केस हमारी तरफ से एप्रूव हो रहा है उस के बाद यह फाईनान्स मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन को जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक इस के खोलने के लिये हम कामयाब हो जायेंगे।

Engineering Graduates working as Junior Engineers in CPWD

*471. SHRI RAJKESHAR SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Engineering Graduates are employed as Junior Engineers in C.P.W.D. in a pay scale which is meant for Diploma holders, if so, why;

(b) whether Government have not operated a separate promotional channel meant for Engineering Graduates since 1972 and have neither created a separate cadre for these Engineering graduates;

(c) whether the Supreme Court of India in a case of M/s. T. N. Khosa and others v/s. State of Jammu and Kashmir has categorically held that classification for the purpose of promotion can be made in one cadre on the basis of educational qualifications, even though the nature of duties is the same; and

(d) if so, what prevents Government in making such classification for graduate Junior Engineers and provide a quota for promotion to these Graduate Junior Engineers under rule 3(b) of CES, and CEES rules, 1954?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा या उसके समकक्ष या कोई उच्चतर योग्यता है। यह स्नातकों की नियुक्ति में बाधा नहीं डालती जो आवेदन देते है और चुने जाते हैं।

(ख) जी हां। तथापि, स्नातकों की पदोन्नति के लिए एक कोटे के रूप में पृथक पदोन्नति क्रम को न्यायालय द्वारा खत्म कर दिया गया था।

(ग) और (घ). न्यायालय के सामने यह मसला था कि जब निम्नतर काडर में स्नातक तथा गैर स्नातक हों तो क्या पदोन्नति स्नातकों तक ही सीमित करने संबंधी नियम से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह उल्लंघन नहीं था; तथा यह निर्णय किया कि ऐसा वर्गीकरण शैक्षणिक